



प्रतिरक्षा भारती Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख पत्र

नवम्बर २०२४ • वर्ष-विंशति (२१) • अंक ११ • मूल्य : १० • वार्षिक मूल्य : १२० ₹

BPMS BPMS BPMS BPMS BPMS BPMS BPMS BPMS

BHARATIYA PRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH



Recognized by Min. of Defence, Govt. of India.
2 Navin Market, Kanpur
(An Industrial unit of BMS)



BPMS
20th

TRI-ENNIAL
CONFERENCE

27,28 & 29 Dec 2024

Ord. Factory Estate
Ambajhari NAGPUR.

* Margdarshan *
Shri. Bhaiyya ji Joshi
Ex Sar Karyawah, RSS.

* Chief Guest *
Shri. Ravindra Himte
General Secretary, BMS.

* Guest of Honour *
Shri. M P Singh, Vice President, BMS
Smt. Neeta Chobe, Vice President, BMS
Shri. Sadhu Singh, Secretary General GENC



Dinesh Kumar
President

Mukesh Singh
General Secretary

BPMS BPMS BPMS BPMS BPMS BPMS BPMS BPMS



AFK Factory Khadki Member meet with Shri Rajnath Singh, Defence Minister-Govt. of India & discuss various issue of Factory and Employees



SENIOR LEADER OF BHARTIYA PRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH MEET WITH SHRI NITIN GADKARI, MINISTER, GOVT. OF INDIA FOR ISSUES OF GOVT. EMPLOYEES



Shri Raviendre Himate, General Secretary-BMS & Shri B Surendran organising secretary BMS & Senior Leader of BMS visted HVF Factory Avadi

सम्पादक की कलम से



- श्री साधू सिंह

मित्रों हम सभी भली भांति जानते हैं कि सरकारी और अंग्रेजी वर्ष 2024 कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा और नया वर्ष 2025 प्रारम्भ हो जाएगा। हमें याद रखना है कि सभी संस्थानों की यूनियन को बृहद सदस्यता अभियान चलाना है सभी कर्मचारियों के पास जाकर अपनी सदस्यता के लिये प्रेरित करना है। हमें किसी को नहीं छोड़ना है सभी से सदस्यता के लिये निवेदन करना है।

सदस्यता सत्यापन में जिन यूनियन की सदस्यता कम रह गई 15 प्रतिशत से भी कम थी ऐसी सभी यूनियन को प्रयास करने की आवश्यकता है आप के पास अवसर है कि आप सदस्यता ज्यादा से ज्यादा करें और मान्यता के लिये आवेदन करना चाहिये। यह बहुत ही आवश्यक है। हमें अपनी यूनियन के विधान के अनुसार समय से यूनियन का चुनाव कराकर रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के कार्यालय में प्रेषित करें। अपनी यूनियन का एनुअल रिटर्न समय पर रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन आफिस में सबमिट करें और यूनियन को D रजिस्टर्ड होने से बचायें सदस्यता सत्यापन के समय बहुत सी यूनियन के दस्तावेज सही नहीं थे आप सभी को कठिनाई हुई थी भविष्य में ऐसी स्थिति न आये इसलिये आवश्यक कार्यवाही को करके रखें।

मित्रों आप सभी अपने 20 वें त्रैवार्षिक अधिवेशन की तैयारी कर रहे होंगे। सीमित संख्या के अधिवेशन में बहुत से स्थानों से कार्यकर्ता अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं

और वह आना चाहते थे। ऐसे सभी कार्यकर्ता महासंघ को माफ करेंगे। अधिवेशन में सभी सम्बद्ध यूनियन का प्रतिनिधित्व आवश्यक है सभी पदाधिकारियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सभी यूनियन का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें कुछ ऐसी भी यूनियन है जो जानबूझकर अधिवेशन और महासंघ के कार्यक्रमों को नजरंदाज करते हैं ऐसी यूनियन को महासंघ असम्बद्ध करने की कार्यवाही कर सकता है इसलिये सभी यूनियन दिए गए प्रतिनिधियों के साथ अधिवेशन में सम्मिलित हों। प्रतिनिधि शुल्क अधिकांश प्रतिनिधियों का आ चुका है जिन लोगों ने अभी तक प्रतिनिधि शुल्क जमा नहीं किया वह तुरन्त अपना शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। अधिवेशन के सभी सत्र महत्वपूर्ण हैं सभी प्रतिनिधियों को पूरे सत्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

मित्रों अगला वर्ष काफी संघर्षशील रहने वाला है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि NPS के स्थान पर नई स्कीम UPS का नोटिफिकेशन होने वाला है उसके प्रावधानों का अध्ययन करना है सभी को इसके बाद आंदोलन की स्थिति आ सकती है। आठवें वेतन आयोग का गठन अभी तक भारत सरकार ने नहीं किया संसद सत्र चल रहा है कुछ सांसदों के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया कि अभी कोई विचार नहीं है इसलिये आंदोलन करना ही पड़ेगा इसलिये आप सभी का तैयार रहना है।

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जयंती पर विनम्र स्मरण



- शिवेन्द्र सागर शर्मा
मीडिया प्रभारी



भारतीय श्रमिक आंदोलन के एक महान नेता, समाजसेवी और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक के रूप में उनके विचार, उनके कार्य और उनके संघर्ष ने भारतीय श्रमिक वर्ग को एक नई दिशा दी। उनकी जयंती पर हम उनके जीवन, कार्य और योगदान को सम्मानित करते हुए,

उनके आदर्शों को समझने का प्रयास करेंगे।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा : श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म 10 नवम्बर 1920 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के रेवदंडा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता का जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने का निरंतर प्रयास किया। श्री ठेंगड़ी जी को उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त हुई, और बाद में वे पुणे विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए।

शिक्षा के दौरान ही दत्तोपंत जी में सामाजिक बदलाव और संगठन की दिशा में गहरी रुचि विकसित होने लगी। वे छात्र जीवन में ही विभिन्न समाजसेवी गतिविधियों में भाग लेने लगे थे, जिससे उनकी संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ।

राष्ट्रीय स्वावलंबन के प्रति समर्पण : दत्तोपंत जी का जीवन राष्ट्रीय स्वावलंबन की दिशा में समर्पित था। वे बचपन से ही महात्मा गांधी और वीर सावरकर के विचारों से प्रभावित रहे। उनका मानना था कि भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि श्रमिकों और मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए भारतीय समाज में सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्निर्माण होना चाहिए।

वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योगदानकर्ता थे और भारतीय राजनीति के विभिन्न आंदोलनों में भाग लेते रहे। उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि भारत में एक सशक्त श्रमिक वर्ग तैयार हो जो अपनी मेहनत और अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके।

श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष : दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अपने जीवन में कई बार श्रमिकों के हक में आवाज उठाई। उनके नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ ने कई महत्वपूर्ण आंदोलन किए। इन आंदोलनों ने न केवल मजदूरों की स्थिति को सुधारने में मदद की, बल्कि श्रमिकों को एक पहचान भी दिलाई। दत्तोपंत जी का मानना था कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने का काम केवल कानूनी रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए।

प्रतिरक्षा भारती

उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने श्रमिकों को एकजुट किया और उन्हें अपनी शक्ति का अहसास कराया। वे हमेशा इस बात को स्पष्ट करते थे कि यदि श्रमिकों के बीच एकजुटता होगी, तो ही वे अपने अधिकारों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं।

राष्ट्रीय आंदोलन और विचारधारा

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जीवन एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की दिशा में समर्पित था। वे भारतीय समाज में एक समतावादी दृष्टिकोण की बात करते थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। विशेष रूप से श्रमिक वर्ग को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की।

दत्तोपंत जी के योगदान :

1. 'भारतीय मजदूर संघ का गठन' दत्तोपंत जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कर श्रमिकों को एकजुट किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
2. 'श्रमिकों के अधिकारों के लिए जागरूकता'रू उन्होंने श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और उन्हें संगठित करने की दिशा में कई कदम उठाए।
3. 'संविधान में श्रमिकों के अधिकारों का समावेश'रू दत्तोपंत जी ने श्रमिकों के अधिकारों को संविधान में शामिल करने के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनका प्रयास था कि श्रमिकों को समान अधिकार मिलें और उनका शोषण न हो।
4. 'स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार'रू वे भारतीय समाज में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर देते थे, जिससे भारतीय श्रमिक अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

दत्तोपंत जी की सोच और प्रेरणा :

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की सोच और उनके कार्यों से यह साफ प्रतीत होता है कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के पक्षधर थे। उन्होंने हमेशा श्रमिकों के अधिकारों और उनकी भलाई के लिए काम किया। उनके नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ ने न केवल श्रमिकों की आवाज बुलंद की, बल्कि भारतीय समाज में एक नया दृष्टिकोण भी विकसित किया। उनकी प्रेरणा से आज भी लाखों श्रमिक संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके आदर्शों से यह सिखने को मिलता है कि जब तक एकता और संगठन का बल नहीं होगा, तब तक श्रमिकों को उनके अधिकार नहीं मिल सकते।

श्रम संगठन और सह अस्तित्व की स्वीकृति



- पुनीत चन्द्र गुप्ता- वित्त सचिव
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

श्रम संगठन की एकता और मजबूती सिर्फ उसकी संरचना और रणनीतिक पहलुओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें व्यक्तिगत मनोविज्ञान का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सह-अस्तित्व का व्यक्तिगत मनोविज्ञान, अर्थात् संगठन के सदस्य एक दूसरे को कैसे समझते हैं, उनके साथ कैसे बातचीत करते हैं, और उन्हें कैसे स्वीकारते हैं, यह किसी भी समूह, खासकर श्रमिक संगठन, में एकता बना, रखने के लिए बहुत जरूरी है। श्रम संगठनों में जहां सदस्य विभिन्न पृष्ठभूमियों, राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोणों से आते हैं, सह-अस्तित्व के इस मनोविज्ञान को समझना और बढ़ावा देना संगठन की दीर्घकालिक एकता, स्थायित्व व स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सह-अस्तित्व का अर्थ है, व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों की राय, मूल्यों, या प्राथमिकताओं को स्वीकार करना। यह सहिष्णुता कई मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित होती है, जैसे कि भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सबसे महत्वपूर्ण "साझा पहचान का बोध"।

दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना, जिससे कि उनके विचार और अनुभवों को स्वीकारने की संभावना बढ़ सके। दृष्टिकोण को समझना, जो भावनाओं से जुड़ा एक संज्ञानात्मक कौशल है, किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की क्षमता है। श्रमिक संगठनों में, जब सदस्य भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता रखते हैं, तो वे संगठन में विविधता की अधिक सराहना करते हैं और समझ पाते हैं कि विभिन्न सदस्य क्यों विभिन्न व विशिष्ट आवश्यकताओं, चुनौतियों, विचारों या आकांक्षाओं को प्रकट करते हैं। यह समझ समूह के भीतर संघर्ष को कम करती है और सहयोग को बढ़ावा

देती है।



व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और उन्हें प्रबंधित करने में सक्षम होता है। जो सदस्य उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखते हैं, वे असहमति या तनाव को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं।

वे संभावित संघर्षों को शांत कर सकते हैं, रचनात्मक संवाद में शामिल हो सकते हैं, और एक ऐसा सहायक वातावरण बना सकते हैं जहां सह-अस्तित्व फल-फूल सके।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता धैर्य, संवाद, सहनशीलता और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देती है, जो किसी भी संगठन में आवश्यकगुण होते हैं।

किसी संगठन से जुड़ी हुई पहचान का बोध एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रेरक होता है। श्रम संगठनों में, यह पहचान इस तथ्य से आती है कि सभी सदस्य एक समान उद्देश्य साझा करते हैं – काम करने की स्थिति में सुधार, उचित वेतन और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा। भले ही व्यक्तिगत सदस्यों की प्राथमिकता या विचारधारा, भिन्न हो सकती हैं, लेकिन यह साझा पहचान उन्हें एकता की ओर ले जाती है। जब सदस्य यह पहचानते हैं कि वे एक बड़े उद्देश्य के हिस्से हैं, तो यह सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है और संगठन को एकजुट करता है।

किसी संगठन में सह-अस्तित्व की गतिशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि सदस्य अपनी भूमिकाओं को कैसे समझते हैं, नेतृत्व का प्रभाव कैसा होता है, और संगठन की संस्कृति कैसी होती है। सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करने वाले मनोवैज्ञानिक तंत्रों को समझकर,

श्रमिक संगठन के शीर्ष कार्यकर्ता और सदस्य एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और एकजुट वातावरण बना सकते हैं।

श्रम संगठन का नेतृत्व, संगठन की मनोवैज्ञानिक स्थिति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो नेतृत्व समावेशन, पारदर्शिता, संवाद और संचार को प्रोत्साहित करता है, वे एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहां सह-अस्तित्व की संभावना अधिक होती है। सहयोगात्मक व्यवहार को बढ़ावा देकर और विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करके, नेतृत्व संगठन की सदस्यता विस्तार के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब नेतृत्व सभी सदस्यों की चिंताओं को सुनते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि या दृष्टिकोण से हों, तो इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी सदस्यों को सुना और महत्व दिया जाता है, जिससे एक मजबूत एकता उत्पन्न होती है।

मानव मनोविज्ञान अक्सर 'इन-ग्रुप' (वे जिनसे हम पहचान रखते हैं) और 'आउट-ग्रुप' (वे जो अलग समझे जाते हैं) बनाने की प्रवृत्ति रखता है। श्रम संगठनों में, जहां सदस्य विभिन्न उद्योगों या क्षेत्रों से आते हैं, इन-ग्रुप/आउट-ग्रुप के तनाव होने का खतरा होता है, जिससे एकता को खतरा हो सकता है। व्यापक और समावेशी संगठनात्मक पहचान को प्रोत्साहित करके, जो कि संगठन की सदस्यता और श्रमिक अधिकारों के इर्द-गिर्द केंद्रित होती है, संगठन इस विभाजन का मुकाबला कर सकते हैं। जब सदस्य खुद को मुख्य रूप से बड़े श्रमिक संगठन आंदोलन का हिस्सा मानते हैं तो छोटे, प्रतिस्पर्धी समूहों के बजाय एकजुटता व सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जो कि सह अस्तित्व का ही मनोविज्ञान हैं।

सह-अस्तित्व की मनोविज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि संघर्ष से बचा जा, बल्कि यह है कि उन्हें रचनात्मक तरीके से प्रबंधित किया जाए। श्रम संगठन, अपने स्वभाव से, विभिन्न हितों को संबोधित करते हैं। मनोवैज्ञानिक लचीलापन, और खुले संवाद में शामिल होने की इच्छा, सह-अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। जिन सदस्यों को अपनी चिंताओं या भिन्न राय को व्यक्त करने में मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस होता है, वे समस्याओं को हल करने में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बजाय इसके कि वे विभाजन को गहरा करें।

विश्वास किसी भी संगठन की एकता की नींव है। जब संगठन के सदस्य एक-दूसरे और नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, तो वे अधिक सहयोगी ढंग से कार्य करते हैं। विश्वास, शोषण या विश्वासघात के डर को कम करता है, जो अक्सर गुटबंदी की ओर ले जाता है। आपसी सम्मान इस बात की स्वीकृति है कि सभी सदस्य, चाहे उनका पद या राय कुछ भी हो, संगठन के उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होते हैं, इस विश्वास को और मजबूत करता है और एकता को बढ़ाता है।

एकता तब सबसे प्रभावी ढंग से प्राप्त होती है जब व्यक्तिगत सदस्य संगठन के सामूहिक हितों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखते हैं। व्यक्ति संगठन के लक्ष्यों का समर्थन तब अधिक करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जा रहा है और संगठन की सफलता उनके अपने हितों के साथ संरेखित है। साझा उद्देश्य की भावना, और इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण है, के लिए आवश्यक है कि सदस्यों के मध्य, व्यक्तिगत असहमति की अवस्था में भी, सह-अस्तित्व की भावना प्रबल हो।

सामूहिक सफलता का जश्न मनाना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सामूहिक प्रयासों के लिए मनोवैज्ञानिक मान्यता प्रदान करता है। जब सदस्य यह देखते हैं कि उनका सह-अस्तित्व और सहयोग ठोस परिणाम देते हैं, तो वे एक साथ काम करने के लिए और भी अधिक प्रेरित होते हैं। इससे एक सकारात्मक चक्र बनता है: सफलता एकता को मजबूत करती है, और एकता आगे की सफलता को बढ़ावा देती है।

सह-अस्तित्व का व्यक्तिगत मनोविज्ञान श्रम संगठनों के सदस्यों की एकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, साझा पहचान, और विश्वास जैसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक सदस्यों को उनके भिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद सह-अस्तित्व में मदद करते हैं। जब व्यक्तिगत सदस्य अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं और एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा महसूस करते हैं, तो श्रम संगठन अधिक एकीकृत और मजबूत होता है।

वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरण

- दत्तात्रेय होसबाले

सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

कल से बहुत सुन रहे और सोच रहे हैं। उससे और कुछ भिन्न कहना है ऐसा लगता नहीं। अभी समारोप सत्र के पूर्व मुक्त चिंतन के समय मा. गीता ताई ने कहा कि कार्यशाला के जो विषय हैं, उस पर ही बोलना चाहिये, दुनिया भर की बातें नहीं बोलनी चाहिये। मैं तो गीता ताई से पूछना चाहता हूँ कि हम कल से दुनिया भर की बातों के अलावा क्या कर रहे हैं ? और मैं भी इसमें लीक से हटकर और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं भी दुनिया भर की ही बात करूंगा। यह दुनिया, यह पृथ्वी बचेगी तो हम बचेंगे, हम बचें या ना बचें, यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यह पृथ्वी, यह सृष्टि बचनी चाहिये। यही भारतीय दृष्टि है। पृथ्वी बचेगी तो हम जैसी लाखों पीढ़ियाँ इस पृथ्वी पर निरंतर आ सकती हैं। कल से एक अत्यंत प्रेरणादायी, चिंतनात्मक कार्यशाला के सत्रों में, गटश: चर्चा, बौद्धिक आदि में ज्ञानवर्द्धक बातें हमने सुनी। चिंतन बढ़ा, आशा जगी। यह सब सुनकर, देखकर भविष्य के बारे में आशा जगती है कि सब कुछ ठप हो गया, नष्ट हो गया ऐसा नहीं है। इतने लोग ऐसे संकल्पबद्ध हैं। ऐसे लाखों लोग देश में, देश के बाहर, इस पृथ्वी पर हैं इसलिये मन में आशा जगती है। कार्यशाला में ऐसी जागृत बहनें और बंधुओ मिलकर आनंद हुआ। अंग्रेजी में एक बात कहते हैं – **May your tribe increase**। मैं यही कहूंगा – **May this tribe increase**।

पर्यावरण की वैश्विक स्थिति

पर्यावरण आजकल बहुचर्चित विषय है क्योंकि यह अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण रक्षा में बहुत विलंब हो चुका है और देरी करना मरणांतिक होगा। ऐसे खतरे के घंटे गत ३०-४० वर्षों से विश्वभर के प्राज्ञ लोग, अनुभवी लोग, काम करने वाले लोग, लगातार बजा रहे हैं। आज हम देखें तो इन २०-

यह तो अपेक्षा नहीं कर सकते परन्तु अपने घर की और देखभाल तथा साथ ही समाज की कुछ सेवा करना किसी भी महिला के लिए सम्भव है। शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की कल्पना युधिष्ठिर द्वारा कौरवों के सम्मुख रखने पर द्रौपदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह सभी प्रकार की भीरुता धिक्कारती है। हर काल में अति श्रेष्ठ मानी जाने वाली जीजाबाई ने आ सकने वाले संकटों व कठिन समस्याओं को जानते हुए भी अपने इकलौते पुत्र को रणांगण में भेजा। ऐसी महान, शौर्यशाली, अजरामर कीर्तिवान महिलाओं का अनुसरण करना चाहिये“।

असम के जोरहाट नगर में आयोजित विश्व हिन्दू परिषद् के अधिवेशन में दिनांक २८ मार्च, १९७० को सम्पन्न महिला सम्मेलन को उद्बोधित करते हुए श्री गुरुजी ने कहा, “जब कुरुक्षेत्र में युद्ध को जाने के लिए सब लोग सिद्ध हो गए तब माता का आशीर्वाद मांगने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पाण्डव एक साथ पहुंचे।

कुन्ती ने कहा कि “यह धर्म-युद्ध है। क्षत्रिय माता इसलिये सन्तान को जन्म देती है।

यदर्थ क्षत्रिया सूते, तस्य कालोऽयमागतः।

न हि वैरं समासाद्य सीदन्ति पुरुषर्षभाः॥

(महाभारत उद्योग पर्व)

अर्थात् जिस कारण क्षत्राणियां पुत्र को जन्म देती हैं वह समय आ गया है। वैर प्राप्त होने पर पुरुषश्रेष्ठ हतोत्साह नहीं होते।

ऐसे समय में माताओं को निर्भीक होकर वीरोचित वृत्ति से अपने धर्म तथा सत्कर्म का पालन करो, इस प्रकार की प्रेरणा देनी चाहिए।”

सामाजिक समरसता



- तनवीर अहमद

जेसीएम तृतीय सदस्य- डीआरडीओ



समाज एक जटिल तंत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग, संस्कृतियाँ, विचारधाराएँ और पहचानें एक साथ रहती हैं। इसके बावजूद, एक मजबूत और संतुलित समाज तभी बन सकता है, जब उसमें समरसता, यानी सामाजिक सौहार्द और एकता का तत्व हो। समाज की समरसता का तात्पर्य है— सभी वर्गों, समुदायों और व्यक्तियों के बीच सामंजस्यपूर्ण और सामूहिक संबंध, जिसमें सभी का सम्मान किया जाता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव, नफरत, या असमानता का स्थान नहीं होता। समाज में समरसता की आवश्यकता हर समय बनी रहती है, ताकि समाज प्रगति कर सके और सामाजिक न्याय का पालन हो सके।

सामाजिक समरसता का महत्व :

1. **'समाज में शांति और स्थिरता का निर्माण** : जब समाज में समरसता होती है, तो विभिन्न समुदायों और व्यक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। यह शांति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करता है, जो किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है।
2. **'विकास के अवसरों का समान वितरण** : समरसता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समान अवसरों की पेशकश करती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलते हैं, तो समाज का समग्र विकास संभव हो पाता है।
3. **'सामाजिक न्याय की प्राप्ति** : समरसता के माध्यम से हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान, समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। यह समाज में असमानताओं को खत्म करने का कार्य करता है और प्रत्येक वर्ग को समान सम्मान प्राप्त होता है।
4. **संस्कृति का संरक्षण** : विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, और संस्कृति के लोग समाज में मिलकर रहते हैं। समरसता समाज में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें सभी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाता है और इनका संरक्षण किया जाता है।

सामाजिक समरसता के तत्व

1. **समानता** : समाज में समरसता तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलें। भेदभाव, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग, या सामाजिक स्थिति के आधार पर हो, उसे खत्म करना

अत्यंत आवश्यक है।

2. **सहिष्णुता** : समाज में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक विश्वासों के बीच सहिष्णुता का होना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को अपनी मान्यताओं और विश्वासों का पालन करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना भी जरूरी है।

3. **सामाजिक न्याय** : समरसता का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को उसके अधिकार मिले और कोई भी वर्ग या व्यक्ति शोषण, असमानता या भेदभाव का शिकार न हो।

4. **सकारात्मक संवाद और सहयोग** : समाज में समरसता की स्थिति तभी बन सकती है जब विभिन्न समूहों के बीच संवाद और सहयोग की भावना हो। संवाद से ही गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है और सामूहिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उपाय

1. **'शिक्षा का प्रसारण'** शिक्षा ही समाज में समरसता का सबसे प्रभावी उपाय है। यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा, तो भेदभाव और असमानता की भावना खत्म हो सकती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जा सकता है।
2. **'सामाजिक संवाद'** समाज में समरसता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच सकारात्मक संवाद होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक बैठकें और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है।
3. **'सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ'** सरकार को ऐसी नीतियाँ और योजनाएँ बनानी चाहिए जो समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा दें। विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए आरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तथा विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सकता है।
4. **'संस्कार और मूल्य'** समाज में समरसता को बढ़ावा देने के लिए परिवार और विद्यालयों में अच्छे संस्कार और मानवीय मूल्य सिखाने की आवश्यकता है। लोगों को आपसी सम्मान, सहिष्णुता और समन्वय के महत्व को समझाना चाहिए।
5. **'धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान'** धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद सभी के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा देना समाज में समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच आदान-प्रदान से लोगों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी।

कुटुंब प्रबोधन



- इन्द्रजीत सिंह- आडीटर
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ



कुटुंब (परिवार) किसी भी समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह संस्कार, शिक्षा, और मूल्यों का आधार है। जब परिवार सशक्त और जागरूक होता है, तो समाज और राष्ट्र भी प्रगतिशील बनता है। कुटुंब प्रबोधन का अर्थ है परिवार के सदस्यों को सही दिशा, संस्कार और ज्ञान देकर एक सशक्त परिवार और समाज का निर्माण करना।

कुटुंब प्रबोधन का अर्थ और उद्देश्य

कुटुंब प्रबोधन का सीधा तात्पर्य है :

1. परिवार के सदस्यों में एकता, सामंजस्य और आपसी सहयोग बढ़ाना।
2. पारिवारिक मूल्यों को संरक्षित करना।
3. बच्चों को नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा देना।
4. समाज में परिवार की भूमिका को समझना और उसे प्रगतिशील बनाना।

कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता

1. **परिवार में टूटन :**
आधुनिक युग में परिवार छोटे होते जा रहे हैं। आपसी संवाद और सहयोग की कमी के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ रही है।
2. **पारिवारिक मूल्य क्षीण होना :**
पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिक जीवनशैली ने पारंपरिक मूल्यों को कमजोर किया है। सम्मान, आदर और सहयोग की भावना कम हो रही है।
3. **संस्कारों का अभाव :** नई पीढ़ी में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान कम हो रहा है। बच्चों में नैतिकता और अनुशासन की कमी देखने को मिलती है।
4. **समाज में बढ़ती चुनौतियां**

नैतिक मूल्यों का पतन।

नशा, अपराध और अन्य सामाजिक बुराइयों का बढ़ना।

5. स्वस्थ समाज के निर्माण की आवश्यकता :

एक सशक्त और प्रगतिशील समाज के लिए मजबूत परिवारों का होना जरूरी है।

कुटुंब प्रबोधन के महत्वपूर्ण घटक

1. **संवाद :** परिवार में संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। संवाद से आपसी गलतफहमियां दूर होती हैं और रिश्ते मजबूत बनते हैं। दैनिक जीवन में परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठकर विचार

साझा करने की आदत डालनी चाहिए।

2. **समझदारी और सहनशीलता :** परिवार के सदस्यों को एक-दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझना चाहिए। सहनशीलता रिश्तों को स्थिर और मजबूत बनाती है।

3. **संस्कार और मूल्य :** बच्चों को परिवार में संस्कार देने से उनका व्यक्तित्व विकसित होता है। आदर, ईमानदारी, सहानुभूति, और अनुशासन जैसे मूल्यों को परिवार में सिखाया जा सकता है।

4. **समर्पण और सहयोग :** परिवार के सदस्य जब एक-दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, तो कुटुंब सशक्त होता है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए।

5. **आध्यात्मिकता और संस्कृति :** परिवार में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करना जरूरी है। यह बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है।

कुटुंब प्रबोधन के माध्यम

1. **संस्कार शिक्षा :** बच्चों को नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा देना। रामायण, महाभारत, भगवद्गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन।
2. **पारिवारिक बैठकें :** परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से साथ बैठें और अपने विचार साझा करें। यह आपसी संवाद को बढ़ाता है।
3. **सामूहिक गतिविधियां :** त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, और सामाजिक कार्यक्रमों में परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी। खेल, यात्रा, और अन्य गतिविधियों के माध्यम से रिश्तों को मजबूत करना।
4. **संवेदनशीलता और सहानुभूति :** परिवार में हर सदस्य की भावनाओं को समझने और उनका आदर करने की भावना विकसित करना। बुजुर्गों और बच्चों के प्रति विशेष ध्यान देना।
5. **योग और ध्यान :** योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना। यह तनाव को कम करता है और रिश्तों को संतुलित बनाता है।
6. **विचारों का आदान-प्रदान :** बच्चों को विचार व्यक्त करने का अवसर देना। उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए उनकी समस्याओं को समझना।

कुटुंब प्रबोधन के लाभ

1. **मजबूत परिवार :** कुटुंब प्रबोधन से परिवार में आपसी विश्वास और सामंजस्य बढ़ता है। यह पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाता है।
2. **सशक्त समाज :** एक मजबूत परिवार ही सशक्त समाज की नींव है। जब परिवार संस्कारित होते हैं, तो समाज भी प्रगतिशील बनता है।
3. **संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण :** बच्चों में नैतिकता और संस्कार विकसित होते हैं। वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझते हैं।

पर्यावरण संरक्षण



- कमल किशोर गौड़- महामंत्री

आयुध निर्माणी कानपुर



पर्यावरण का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। यह न केवल मानव जीवन के लिए, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति, और जीव-जंतुओं का संतुलित रूप से मौजूद होना आवश्यक है। यदि पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है, तो इसका प्रभाव सम्पूर्ण जीवन चक्र पर पड़ता है।

मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ पर्यावरण पर संकट बढ़ता गया। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई और प्रदूषण ने प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। इस स्थिति में, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गई है।

पर्यावरण संरक्षण का अर्थ

पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता की रक्षा करना, उन्हें सहेजना और उनके संतुलन को बनाए रखना। इसमें वायु, जल, मिट्टी, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को प्रदूषण से बचाने और उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शामिल है।

पर्यावरण के घटक

1. **जैविक घटक** : इनमें जीवित चीजें शामिल हैं, जैसे पौधे, जानवर और मनुष्य।
2. **अजैविक घटक** : इनमें निर्जीव चीजें शामिल हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और धूप।
3. **पारिस्थितिकी तंत्र** : जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन और सह-अस्तित्व।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

1. **प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना** : पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, सूखा, और भूकंप, बढ़ते हैं। जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि यह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती है।
2. **मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा** : प्रदूषित वायु और जल से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वच्छ पर्यावरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं।
3. **भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना** : यदि हम

प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा।

4. **जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण** : ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है।

5. **वन्यजीवों का संरक्षण** : वनों और वन्यजीवों का विनाश प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करता है। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं।

पर्यावरण संरक्षण के उपाय

1. **वृक्षारोपण** : पेड़ वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाते हैं। वनों की कटाई को रोककर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए।
2. **प्रदूषण नियंत्रण** : वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। औद्योगिक कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करें।
3. **पुनर्चक्रण** : कचरे को पुनः उपयोग में लाकर संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सकता है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करके वैकल्पिक सामग्री अपनानी चाहिए।
4. **स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग** : सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जलविद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करें।
5. **पानी का संरक्षण** : पानी के अपव्यय को रोकें और जल संरक्षण के उपाय अपनाएं। बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाएं।

पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भूमिका

1. **सामुदायिक अभियान** : स्थानीय स्तर पर स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम। समाज में पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना।
2. **स्वयंसेवी संगठन** : पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समाज को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करते हैं।
3. **परिवार और व्यक्तिगत योगदान** : प्रत्येक व्यक्ति को जल, बिजली, और अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाना।

पर्यावरण संरक्षण के लाभ

1. **स्वास्थ्य में सुधार** : स्वच्छ पर्यावरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आती है। स्वच्छ जल और वायु से बीमारियों का खतरा कम होता है।
2. **प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम** : पर्यावरण का संरक्षण प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता को कम करता है। वनों और जल संसाधनों के संरक्षण से सूखा और बाढ़ की संभावना कम होती है।



स्वदेशी आंदोलन



- योगेन्द्र सिंह चौहान

केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य



भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है। यहाँ का हर क्षेत्र अपनी अनूठी पहचान और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया था, जो आत्मनिर्भरता और भारतीय उत्पादों के उपयोग पर आधारित था। आज के समय में भी स्वदेशी अपनाने का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।

स्वदेशी का अर्थ

स्वदेशी का अर्थ है 'स्वदेश का', अर्थात् अपने देश में बने उत्पादों और सेवाओं का उपयोग। यह केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। स्वदेशी का उद्देश्य विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करना और अपने देश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

स्वदेशी आंदोलन का इतिहास

स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने किया। उन्होंने जनता से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और खादी व अन्य स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने का आग्रह किया।

महात्मा गांधी ने 'चरखा' को स्वदेशी का प्रतीक बनाया। उन्होंने कहा कि चरखा सिर्फ वस्त्र उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन ने एक जनांदोलन का रूप लिया और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक मुख्य आधार बन गया।

स्वदेशी अपनाने का आज का परिप्रेक्ष्य

आज के वैश्वीकरण के युग में स्वदेशी अपनाने का मतलब केवल विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना नहीं है। यह स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में आरंभ किया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह अभियान न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि स्थानीय उद्योगों, स्टार्टअप्स और कारीगरों को सशक्त बनाता है।

स्वदेशी अपनाने के लाभ

1. **आर्थिक विकास** : स्वदेशी उत्पादों का उपयोग देश के भीतर धन

का संचरण करता है। यह स्थानीय उद्योगों, लघु और मध्यम उद्यमों और किसानों को प्रोत्साहित करता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

2. **आत्मनिर्भरता** : स्वदेशी अपनाने से देश बाहरी निर्भरता से मुक्त होता है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है, क्योंकि किसी भी संकट के समय हम बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रहते।

3. **स्थानीय कला और संस्कृति का संरक्षण** : भारत के कारीगर और शिल्पकार अपनी अनूठी कला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करके हम उनकी कला को संरक्षित और प्रोत्साहित कर सकते हैं।

4. **पर्यावरण संरक्षण** : स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुएं कम परिवहन की आवश्यकता के कारण पर्यावरण पर कम बोझ डालती हैं। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

5. **सामाजिक सशक्तिकरण** : स्वदेशी अपनाने से स्थानीय समुदायों को सशक्त किया जा सकता है। महिलाओं, कारीगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक अवसर मिलते हैं।

चुनौतियाँ :

1. **सस्ती विदेशी वस्तुएं** : चीन और अन्य देशों के उत्पादों की कीमत कम होने के कारण भारतीय उत्पादों को कठिनाई होती है।

2. **गुणवत्ता का मुद्दा** : कभी-कभी स्वदेशी उत्पाद गुणवत्ता में विदेशी उत्पादों से पीछे रह जाते हैं।

3. **प्रचार और जागरूकता की कमी** : स्वदेशी उत्पादों की जानकारी और उनकी उपलब्धता सीमित होती है।

समाधान:

1. **स्थानीय उत्पादों का ब्रांडिंग और प्रचार** : भारतीय उत्पादों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए।

2. **तकनीकी उन्नयन** : भारतीय उद्योगों को नई तकनीकों को अपनाकर अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता को सुधारना चाहिए।

3. **नीतिगत समर्थन** : सरकार को स्वदेशी उत्पादकों को कर में छूट, सब्सिडी और अन्य लाभ प्रदान करने चाहिए।

स्वदेशी अपनाने में युवाओं की भूमिका : युवा पीढ़ी स्वदेशी को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे स्थानीय उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा, वे स्टार्टअप्स और उद्यमिता के माध्यम से नए विचारों को मूर्त रूप दे सकते हैं।

स्वदेशी का व्यापक प्रभाव : स्वदेशी केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। यह देशभक्ति, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं, तो हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं और अपने देश को मजबूत बनाते हैं।

नागरिक कर्तव्य



- आशीष कुमार सिंह

जेसीएम तृतीय सदस्य- डीआरडीओ



किसी भी देश की उन्नति, प्रगति और विकास उस देश के नागरिकों के योगदान पर निर्भर करता है। नागरिक केवल अधिकारों का उपभोग करने के लिए नहीं होते, बल्कि उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। यह कर्तव्य समाज, राष्ट्र और पर्यावरण के प्रति होते हैं, जिनका पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है।

नागरिक कर्तव्यों का महत्व

राष्ट्र निर्माण में योगदानरू जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो देश समृद्ध और प्रगतिशील बनता है। सामाजिक समरसता का निर्माणरू नागरिक कर्तव्य सामाजिक शांति और समानता बनाए रखने में सहायक होते हैं। संविधान का सम्मानरू कर्तव्यों का पालन करना संविधान और कानून का आदर करना है। लोकतंत्र की सफलतारू नागरिकों की जिम्मेदार भागीदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाती है।

मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51 I)

1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
2. स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का आदर करना।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे मजबूत करना।
4. देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता की भावना को बढ़ावा देना।
6. महिलाओं का सम्मान करना और उनके खिलाफ हिंसा को रोकना।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे संरक्षित करना।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना।

9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से बचना।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना।
11. बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करना।

नागरिक कर्तव्य और अधिकार का संबंध :

कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

अधिकार जहां हमें स्वतंत्रता और विकास का अवसर देते हैं, वहीं कर्तव्य हमें यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देते हैं कि हमारी स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों को प्रभावित न करे।

यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो समाज में अराजकता फैल सकती है।

उदाहरण : एक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती।

नागरिक कर्तव्यों के प्रकार

1. संवैधानिक कर्तव्य :

जो कर्तव्य भारतीय संविधान में निर्दिष्ट हैं, जैसे राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता बनाए रखना आदि।

2. सामाजिक कर्तव्य : समाज के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी, जैसे: महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना। सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना।

3. आर्थिक कर्तव्य : राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए योगदान देना, जैसे समय पर कर का भुगतान। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाना।

4. पर्यावरणीय कर्तव्य : प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे: जल और ऊर्जा का संरक्षण। वृक्षारोपण और स्वच्छता को बढ़ावा देना।

5. नैतिक कर्तव्य :

व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नैतिकता का पालन करना, जैसे: ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखना।

समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रचार।

पहले मनुष्य बनो

स्वामी वीरेश्वरानन्द

साभार - मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य

जब स्वामी विवेकानन्द अमेरिका से लौटे, तो बहुत से लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि वे राजनीति में भाग लें और इस प्रकार भारत की पराधीनता को दूर करें। उत्तर में स्वामीजी ने कहा— ठीक है, मान लो कि मैं कल भारत को स्वतंत्र कर देता हूँ, तो क्या तुम उस स्वतंत्रता की रक्षा कर सकोगे? सारे देश में ऐसे लोग कहाँ हैं, जो ऐसा कर सकें? इस तरह स्वामीजी ने हमें समझा दिया कि जब तक हमारे पास मनुष्य नहीं हैं, तब तक न तो कुछ किया जा सकता है, न कुछ पाया। आज के सन्दर्भ में हम स्वामीजी के इस कथन का मर्म अच्छी तरह सम्मझ सकते हैं। आज देश में इतनी समस्या क्यों है? इसलिए कि हमारे पास मनुष्य नहीं हैं। यदि देश में उचित मनुष्य होते, तो हमें कुछ कठिनाई न होती। तब तो राजनीति, शैक्षणिक या अन्य सभी प्रकार के आदर्श हम सहज ही में उपलब्ध कर ले सकते। उचित मनुष्य के अभाव में हम किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते। अच्छा, हमें मनुष्य कैसे मिले? क्या संसद के कानून बनाने से? ऐसा कभी सम्भव नहीं। केवल धर्म के माध्यम से ही मनुष्य का निर्माण हो सकता है।

इसीलिए तो स्वामीजी ने हमारा आह्वान करते हुए कहा कि अपनी अन्तःस्थ आत्मा को प्रबुद्ध करो और आत्मशक्ति को जागृत कर कार्य में कूद पड़ो भारत के नवनिर्माण के लिए तुम्हें धर्म और कर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा धर्म की सहायता के बिना भारत का उत्थान नहीं हो सकता। वह देश का प्राणकेन्द्र है। यदि उसकी ओर ध्यान दिया गया, तो बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा।

जब से स्वामीजी ने शिकागो के विश्व-धर्म-सम्मेलन में हिन्दू धर्म पर व्याख्यान दिया, वास्तव में तभी से भारत ने जागना शुरू किया। हिन्दू धर्म का सन्देश सुनकर सारा अमेरिका मंत्रमुग्ध हो गया। समूचे विश्व ने देखा कि भारत मृत नहीं है, वह सोया भी नहीं है, बल्कि जीवित है और केवल जीवित ही नहीं बल्कि अब वह सारे विश्व को जीत लेगा। पर प्रश्न यह है कि किसके द्वारा जीतेगा? अण्वस्त्र के सहारे?... नहीं, बल्कि अपने शान्त सौहार्द के सन्देश द्वारा, जैसा कि स्वामीजी ने कहा अपने इस आदर्श के द्वारा भारत समस्त भेदभावों को दूर कर सारी दुनिया को एक करेगा।

धर्म हमारे जीवन का आधार है। स्वामीजी ने बताया कि यदि हम अपना धर्म-जीवन स्वस्थ रखें, तो सब कुछ ठीक चलेगा। जैसा कि हम देखते ही हैं, स्वामीजी के प्रयासों से पहले हमारे धार्मिक जीवन में नवजागरण हुआ और फिर उसके बाद राष्ट्र जीवन के अन्य सब क्षेत्रों में शिक्षा, साहित्य, कला, अर्थनीति, राजनीति आदि में नवजागरण के लक्षण दीख पड़ने लगे। इसीलिए स्वामीजी ने सबसे पहले, प्राथमिक आवश्यकता के रूप में, धर्म की सुरक्षा पर बल दिया हमें अन्य बहुत सी बातों की आवश्यकता हो सकती है, पर हमें उन्हीं बातों के लिए चेष्टा करनी चाहिए, जो हमारे इन धार्मिक आदर्शों को सुरक्षित बनाये रखेंगी। हमें इस बात को नहीं भूलना है।

मैं महामण्डल के सदस्यों से कहूँगा पहले मनुष्य बनो, काम-काज बाद में यदि तुम पहले मनुष्य नहीं बन सकते, तो कोई भी काम सार्थक नहीं होगा यदि तुम सीधे कर्म में लग जाओ, तो केवल आपस में झगड़ा ही करोगे, एक दूसरे को मारोगे और ऐसा ही सब करते रहोगे इसीलिए पहले मनुष्य बनने की चेष्टा करो, धार्मिक बनने का प्रयास करो। तुम्हें चरित्र-निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी। इस बात को मैं विशेष बल देकर कहूँगा। स्वामी विवेकानन्द ने यही आदर्श सामने रखा था उनका सन्देश यही था। उनकी पुकार केवल युवाओं के लिए ही नहीं थी, अपितु, प्रत्येक भारतवासी के लिए थी, जिसका आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था - आओ, तुम सब आओ और मनुष्य बनो।

मैं स्वामीजी से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें शक्ति दें, जिससे हम मनुष्य बन सकें और इस मनुष्यत्व से युक्त होकर बृहत्तर भारत के गठन के लिए कार्य कर सकें। स्वामीजी ने कहा है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो अब भारत का और प्रतिरोध करे। यही स्वामीजी का सन्देश है भारत जाग उठा है और वह राष्ट्रों के विश्व-मंच पर अपना उचित स्थान अवश्यमेव प्राप्त करेगा। मैं एक बार फिर से स्वामीजी से शक्ति की प्रार्थना करता हूँ, जिससे हम देश और विश्व के लिए कार्य कर सकें तथा समस्त घृणा और ईर्ष्या-द्वेष को दूर कर 'एक विश्व' का निर्माण कर सकें।

गुरु तेगबहादुर जी (1621 - 1675 ई.)

वैशाख कृष्ण पंचमी 1678'मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी 1732 विक्रम संवत्
1 अप्रैल 1621



- सुधीर त्रिपाठी

आई आर सदस्य, जी आई एल, कानपुर



संक्षिप्त परिचय

विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेगबहादुर जी का अद्वितीय स्थान है। एक आततायी शासक की धर्म विरोधी और वैचारिक स्वतंत्रता का दमन करने वाली नीतियों के विरुद्ध समाज के सबसे शांत और अहिंसक व्यक्ति तक का क्या दायित्व बनता है— श्री गुरु तेगबहादुर जी का जीवन और उसकी रक्षा के लिए उनके द्वारा किया गया अपना सर्वोच्च बलिदान, इसका एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक उदाहरण है। सनातन हिन्दू स्वधर्म का पालन करते हुए इसकी रक्षा हेतु डाली गई आहुति लोगों में निर्भीक आचरण, धार्मिक अडिगता और नैतिक उदारता के कितने उच्चतम प्रतिमान पुनर्स्थापित कर सकती है, इसे समझने के लिए गुरु तेगबहादुर से बेहतर कोई और व्यक्तित्व मिलना दुष्कर है।

श्री गुरु तेगबहादुर का जन्म वैशाख कृष्ण पंचमी (1 अप्रैल 1621) को पंजाब के अमृतसर मुगल शासन में हुआ। वह सिक्खों के छठे गुरु, गुरु हरगोविंद की 6 संतानों में से एक थे, उनका असली नाम 'त्याग मल' था और उनकी माता का नाम 'नानकी' था।

अमृतसर सिक्खों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र था, गुरु तेगबहादुर को सिख संस्कृति के अनुरूप तीरंदाजी और घुड़सवारी में प्रशिक्षित किया गया। उन्हें वेदों, उपनिषदों और पुराणों, स्मृतियों सहित अनेकों धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन कराया गया।

श्री गुरु तेगबहादुर का विवाह 3 फरवरी 1633 को माता गुजरी के साथ हुआ। जिनसे उन्हें एक पुत्र श्री गुरु गोविंद राय (गुरु गोविंद सिंह जी) की प्राप्ति हुई जो बाद में सिक्खों के 10वें गुरु बने।

1644 में उनके पिता गुरु हरगोबिंद अपनी मृत्यु नजदीक आने का आभास होने पर अपनी पत्नी नानकी के साथ पैतृक गांव बकाला, अमृतसर (पंजाब) में चले गए, साथ ही गुरु तेगबहादुर और उनकी पत्नी माता गुजरी भी गए।

गुरु हरगोविंद जी की मृत्यु के बाद गुरु तेगबहादुर जी काफी समय तक अपनी पत्नी और मां के साथ बकाला में ही रहे। वह हमेशा से ही एकांत और चिंतन को प्राथमिकता देते थे और शुरु से ही वैरागी जैसा जीवन जीते थे। उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र के प्रति दायित्वों का भरपूर निर्वहन किया। कालांतर में उन्होंने बकाला के बाहर भी यात्राएं की तथा आनंदपुर साहिब नामक नगर बसाकर वहीं रहने लगे।

गुरु तेगबहादुर : विभिन्न विद्वानों के वक्तव्य

सिख विषय के विद्वान प्रोफेसर पशौरा सिंह कहते हैं "अगर गुरु अर्जन की शहादत ने सिख पन्थ को एक साथ लाने में मदद की थी, तो गुरु तेगबहादुर की शहादत ने मानवाधिकारों की सुरक्षा को सिख पंथ की पहचान बनाने में मदद की।"

विल्फ्रेड स्मिथ ने कहा है, "नौवें गुरु को बलपूर्वक धर्मान्तरित करने के प्रयास ने स्पष्ट रूप से शहीद के नौ वर्षीय बेटे, गोविंद पर एक अमिट छाप डाला, जिन्होंने धीरे-धीरे उसके विरुद्ध सिख समूहों को इकट्ठा करके इसका प्रतिकार किया। इसने खालसा पहचान को जन्म दिया।"

गुरु गोविंदसिंह के पुत्र का वक्तव्य— "इस संसार में यह सर्वविदित है कि हम उस गुरु तेगबहादुर के पोते हैं जो दिल्ली गए और अपने धर्म को त्यागने के बजाय अपना सिर कलम करने का विकल्प चुना। अब तुर्कों (मुसलमानों) के इस समूह ने हमें जान से मारने की धमकी दी है लेकिन यह धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम केवल तुर्कों के डर से नहीं मरेंगे। हम मरते दम तक हिंदू बने रहेंगे। समय हर किसी को एक दिन खा जाता है। आदरणीय भाई, चिंतन करें कि चार दिनों के इस जीवन के लिए हम अपना धर्म क्यों छोड़ दें?"

गुरु तेगबहादुर जी की 400वीं जयंती पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेगबहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आततायी सोच के सामने उस समय गुरु तेगबहादुर जी, 'हिन्दू दी चादर' बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे।

मुगल बादशाह ने दिल्ली के चाँदनी चौक में जिस जगह पर गुरु तेगबहादुर का सिर कटवाया था, उनकी स्मृति में उसी जगह

पर आज शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है।

गुरुद्वारा शीश गंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब क्रमशः उन स्थानों की याद दिलाते हैं जहाँ गुरुजी की हत्या की गयी तथा जहाँ उनका अन्तिम संस्कार किया गया।

गुरु जी ने हिंदू धर्म में अपनी आस्था, वैचारिक स्वतंत्रता की रक्षा तथा हिन्दू धर्म में वर्णित तीन ऋणों को चुकता करने के सिद्धांत का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसलिए उन्हें सम्मान से शिंदे की चादर के नाम से जाना जाता है।

उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ "करतारपुर की जंगल में मुगल सेना के खिलाफ अतुलनीय पराक्रम दिखाने के बाद उन्हें तेगबहादुर (तलवार के धनी) नाम मिला।

सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु के बाद 16 अप्रैल 1664 को श्री गुरु तेगबहादुर सिखों को नौवें गुरु बने।

अपनी शहादत से पहले गुरु तेगबहादुर ने 8 जुलाई 1975 को गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों का दसवां गुरु नियुक्त कर दिया था।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके द्वारा लिखे गए 115 शब्द शामिल हैं।

गुरु तेगबहादुर जी की हिन्दू धर्म में गहरी निष्ठा

गुरु तेगबहादुर जी कि हिन्दू धर्म में गहरी निष्ठा थी। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दीन मुहम्मदी में लाने का दृढ़ संकल्प कर औरंगजेब ने गुरु तेगबहादुर जी के समक्ष तीन विकल्प रखे 1. चमत्कार दिखाओ। 2. इस्लाम स्वीकार करो। 3. या फिर अपने प्राणों की आहुति दो। तब गुरु तेगबहादुर जी ने उसके प्रस्तावों का उत्तर देते हुए कहा—

तिन ते सुनि श्री तेगबहादुर। धरम निवाहनि बिखै बहादुर।

उत्तर भन्यो, धरम हम हिन्दू। अति प्रिय को किम करहिं निकन्दू।।

लोक परलोक उभय सुखदानी। आन न पाइया याहि समानी।

मति मलीन मूरख मति जोई। इसको त्यागे पामर सोई।

सुमतिवंत हम कहु क्योँ त्यागहिं। धरम राखिवे नित अनुरागहिं।।

त्रितीए प्राण हाव की बात। सो हम सहै, अपने गात।

हिन्दू धरम रखहिं जग मांही। तुमरे करे बिनस यह नांही।।

अर्थात् 'मेरा उत्तर है कि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे हिंदू धर्म पसंद है। कोई इसे कैसे नष्ट कर सकता है? यह इस दुनिया में और साथ ही दूसरी दुनिया में भी खुशी प्रदान करता है। इसके जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। केवल एक विक्षिप्त व्यक्ति या एक मूर्ख तो उसे नीरस होने के लिए छोड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही इस लोक में अत्यन्त दुःख पाता है और यमराज भी उसको दण्ड देते हैं। हमारा अपने धर्म की रक्षा में नित्य अनुराग है। प्राण देने की जो तुमने तीसरी बात कही है, वह हमें स्वीकार है। शरीर पर प्रहार सहते हुए

प्राणों की आहुति देकर और हम हिन्दू धर्म की रक्षा कर लेंगे और यह धर्म तुम्हारे प्रयास से नष्ट होने वाला नहीं है।

ये शब्द गुरु तेगबहादुर जी की हिंदू धर्म के प्रति उनकी अटूट आस्था को दर्शाते हैं। यही कारण है कि उन्हें शिंदे की चादर (हिंदू धर्म का आवरण या हिंदू धर्म का रक्षक) कहा जाता था। जो लोग सिखों को हिंदुओं से अलग कहते हैं, वे इस निश्चित रूप से चादर को कुतरकर छेदकर देने वाले चूहे के समान हैं। गुरुओं की भक्ति सदैव हिंदू धर्म के प्रति और हिंदुओं में गुरुओं के प्रति बहुत सम्मान रहा है।

गुरु तेगबहादुर जी के सुपुत्र एवं सिख परम्परा के दशम गुरु गोविन्द सिंह जी को जब अपने पिता के बलिदान होने का समाचार मिलता है, वह कह उठते हैं—

तिलक जूजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडौ कलूमहि साका।

साधनि हेति इती जिनी करी, सीसु दीआ पर सी न री।।

धरम हेत साका जिनि कीआ, सीसु दीआ पर सिरर न दीआ।।

'अर्थात् प्रभु ने उनके तिलक और यज्ञोपवीत की रक्षा की, उन्होंने कलियुग में बहुत बड़ा बलिदान दिया। साधुओं के परित्राण के लिये उन्होंने अपना शीश कटवा दिया, किन्तु सी भी नहीं की। इन्होंने धर्म के लिये अपना शीश दे दिया पर स्वधर्म निष्ठा नहीं छोड़ी।'

गुरु तेगबहादुर जी को फांसी दिए जाने के कारण मुस्लिम शासन और उत्पीड़न के विरुद्ध हिन्दुओं (विशेष रूप से सिखों) का धर्म रक्षा का संकल्प और भी दृढ़ हो गया जो आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा राज की स्थापना के रूप में फलीभूत हुआ।

वस्तुतः गुरु तेगबहादुर जी एवं समस्त सिख परम्परा का धर्म वैदिक हिन्दू धर्म ही रहा है। यदि त्रेतायुग में राम ने रावण के आतंक से मुक्ति दिलायी थी तो मध्ययुग में गुरु तेगबहादुर ने औरंगजेब की आसुरी शक्ति के आगे नतमस्तक न होकर भारतीयता को गौरवान्वित किया। यह एक सन्त के बलिदान का ही प्रभाव था कि अकबर ने जिस मुगल सत्ता को भारत में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया था, जहाँगीर और शाहजहाँ ने जिसे स्थिरता प्रदान की थी, औरंगजेब के जीवन काल में उसकी नींव हिल गयी। उसके इस संसार से प्रयाण करते ही मुगल सत्ता का सूर्य भी हमेशा के लिए अस्त हो गया।

"तिलक जझू राखा प्रभ ताका । कीनों वडो कलू में साका ।।

धर्म हेत साका जिन काया । सीस दीया पर सिरड़ न दिया ।।


धर्म हेत इतनी जिन करी । सीस दिया पर सी न उचरी ।।"

धन्य हैं ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने धर्म में अडिग रहने के लिए एवं दूसरों को धर्मांतरण से बचाने के लिए हँसते-हँसते अपने प्राणों की भी बलि दे दी।

यही बात भगवत गीता में भी कही गई है—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

पदाधिकारी बड़ा या कार्यकर्ता?



- अमित बाजपेयी
केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य

संघ को समझना है तो शाखा आईये :

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ष भर में 6 उत्सव मनाता है, जिसमें से तीन उत्सव सम्पूर्ण समाज को जोड़ने एवं तीन उत्सव शौर्य, वीरता व पराक्रम के प्रतीक हैं। उनमें से विजयादशमी पर्व भी है। इसी दिन डा० हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना हिन्दू समाज को संगठित करने एवं भारत माता का वैभव पुनः स्थापित करने हेतु की थी। यदि किसी को संघ समझना है, तो उसे शाखा आना जरूरी है। हम व्यक्ति पूजा नहीं बल्कि भारत माता की जय जयकार करते हैं। शाखा में खेल-खेल में देश के लिए कार्य करने का भाव जाग्रत होता है।

भगवान राम ने शबरी के बेर खाकर समरसता का भाव, जटायु का अन्तिम संस्कार कर सेवा का भाव व बालि को मारकर नारी सम्मान का सन्देश दिया था।

स्वयंसेवकों को पाँच करणीय कार्य, जिसमें समरसता के अंतर्गत सेवा बस्ती गोद लेना, पर्यावरण के अंतर्गत जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, परिवार प्रबोधन के अंतर्गत स्नेह व संस्कार देना, स्व के भाव के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना एवं नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत देश हित के कार्य करना है।

आमतौर पर पर किसी भी संगठन में पदाधिकारी बनने का विवाद ओर प्रतिस्पर्धा बनी ही रहती है। ज्यादातर सदस्य पदाभिलाषी ही रहते हैं और यह मानवीय कमजोरी भी है जो पद पैसा और प्रतिष्ठा की अभिलाषा रखता ही है।

इस सबसे ऊपर उठना बहुत कठिन और श्रमसाध्य भी है जो आम आदमी, कार्यकर्ता के वश में होता भी नहीं है। बिरले ही होते हैं जो बिना किसी पद के केवल कार्यकर्ता के रूप में भी उसी लगन मेहनत समर्पण से कार्य करते होंगे जो वे पदाधिकारी बनकर करते। ऐसी स्थिति वाले संगठनों की स्थिति अमूमन खराब ही बनी रहती है जहां पदाभिलाषी अधिक और समर्पित कार्यकर्ता भाव वाले सदस्य अधिक रहते हैं।

जुगाड, सिफारिशों के बल पर पद पाने वाले प्रायः अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता ही दिखाते पाए जाते हैं जिससे वे स्वयं का ओर संगठन का मार्ग भी अवरुद्ध ही करते हैं।

बेहतर स्थिति यही है कि अपने कार्य को महत्व दे और समर्पित भाव से श्रमिक हितैषी कार्यों में संलग्न रहे तो पद भी स्वयं ही मिलने लगते हैं उसके लिए किसी सिफारिश या जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है यदि धैर्य पूर्वक अपने कार्यों में लगे रहे तो इसका मीठा फल अवश्य प्राप्त होता है।

वन्दे मातरम!

भारतीय मजदूर संघ अमर रहे।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ अमर रहे।



Government ORDERS

सत्यमेव जयते

Advisory No. 16/2024, Standing Army Pay Commission Section, ADG PS, AG's Branch, 5th Floor, Defence Office Complex, KG Marg, New Delhi 19th Nov., 2024

Deductions/Exemptions On Income Tax Allowed New Tax Regime

1. No. of queries have been recd from envt regarding IT exempt1on1 and deductions, allowed under New Tax Regime.

2. New Income Tax is the Default Tax Regime; however, Taxpayers have an option to choose Old Tax Regime.

3. New Tax Regime. The new tax introduced in Budget 2020 wherein the tax slabs were altered and tax payers were offered concessional tax rates. However those who opt for the new regime cannot claim several exemptions and deductions, such as HRA, LTA, 80C, 80D and more. Main features of the new tax regime are as under.-

(a) **Higher Tax Rebate Limit** : Full tax rebate on an income up to ₹ 7 lakh has been introduced, whereas this threshold is ₹ 5 lakh under the old tax regime. This means that taxpayers with an income of up to ₹ 7 lakh will not have to pay any tax at all under the new tax regime.

(b) **Streamlined Tax Slabs** : The tax exemption limit has been increased to ₹ 3 lakh and the new tax slabs are as under:-

Ser No	Tax Slab for FY 2024-25	Tax Rate
(i)	Upto ₹3 lakhs	Nil
(ii)	₹3 lakh - ₹7 lakh	5%
(iii)	₹7 lakh - ₹10 lakh	10%
(iv)	₹10 lakh - ₹12 lakh	15%
(v)	₹12 lakh - ₹15 lakh	20%
(vi)	More than ₹15 lakh	30%

(c) **Salary Income** : The standard deduction of ₹ 50,000/- which was only avbl under the old regime, has now been extended to the new tax regime as well. This amount has been incr to ₹ 75,000/- for the new regime only FY 2024 - 25.

(d) **Family Pension** : Those receiving family pension can claim a deduction of ₹15,000/- or 1/3rd of the pension, whichever is lower. This amount has

been incr to ₹ 25,000/- for the new regime wef FY 2024-25.

(e) **Reduced Surcharge for High Net Worth Individuals.** The surcharge rate on income over ₹ 5 crore has been reduced from 37% to 25%.

(f) **Higher Leave Encashment Exemption.** The exemption limit for non-government employees has been raised from ₹ 23 lakh to ₹ 25 lakh.

4. **Old Tax Regime.** The old regime is the tax sys that prevailed before the introduction of the new regime. Under this regime, there are over 70 exemptions and deductions avbl incl HRA and LTA that can reduce taxable income and lower tax payments. The most popular and generous deduction is Sec 80C, which allows for a reduction of taxable income up to 21.5 lakh. The taxpayers have a choice between the old and the new tax regime.

5. Exemptions Allowed in New Tax Regime.

(a) Conveyance Allowance for performance of Office Duties.

(b) Any Allowance for cost of Travel/ Tour/ Transfer.

(c) Transport Allowance for differently abled employee (Divyang) up to ₹ 3,200/- p.m.

(d) Daily allowances received to meet the expenditure incurred on account of absence from place of duty.

(e) Any allowance granted to meet the expenditure incurred on purchase or maintenance of uniform.

(f) Leave Encashment u/s 10(10AA).

(g) Gratuity u/s 10(10).

(h) Interest and final payment under AFPP/ DSOP Fund u/s 10(11).

(j) Sum received from Life Insurance Policy u/s 10(10D).

(k) Commutation of Pension u/s 10(10A).

(l) Interest and withdrawal from Recognised Provident Fund u/s 10(12).

(m) Standard Deductions on Family Pension u/s 57(IIA).

(n) Deductions on Deposits in Agniveer Corpus Fund u/s 80CCH(2).

(o) Employer's contributions to employees NPS Accounts u/s 80CCD(2).

6. Exemptions not Allowed in New Tax Regime. Exemptions/ deductions of Old Tax Regime not allowed in New Tax Regime are as under:-

(a) Deductions under Chapter VIA (u/s 80C, 80CCC, 80CCD, 80DDB, 80EE, 80EEA, 80G, 80IA etc) (max limit of 21.5 lakh).

(b) Allowances u/s 10(14) which incl CEA, Hostel expenditure, Tpt allce, Spl compensatory allce (incl fd area allce), Counter Insurgency allce, High Altitude allce & Island Duty allce.

(c) Deductions u/s 32AD which allows businesses and professionals to claim a deduction for the wear and tear of their assets used in generating income, 33ABA, 35AD, 35CCC.

(d) HRA u/s 10 (13A).

(e) Leave Travel Allce u/s 10(5).

(f) Entertainment Allce and Employment/ Professional Tax.

(g) Home Loan Interest u/s 24(b).

(h) Donation or Expdr on Scientific Research.

(i) Depreciation u/s 32(ia).

7. Comparison Between Old vs New Tax Regime.

Comparison between the deduction and exemptions avbl under the new and old tax regime are as under:-

Ser No	Particulars	Old Tax Regime	New Tax Regime
(a)	Income level for rebate eligibility	₹5 lakh	₹7 lakh
(b)	Standard Deduction	₹50,000/-	₹75,000/-
(c)	Effective Tax-Free Salary income	₹5.5 lakh	₹7.75 lakh
(d)	Rebate u/s 87A	₹12,500/-	₹25,000/-
(e)	HRA Exemption	✓	X
(f)	Leave Travel Allce (LTA)	✓	X
(g)	Other allces incl food allce of ₹50/ meal subject to 2 meals a day	✓	X
(h)	Standard Deduction	✓	✓
(j)	Entertainment Allce and Professional Tax	✓	X
(k)	Perquisites for official purposes	✓	✓
(l)	Interest on Home Loan u/s 24b on: Self-occupied or vacant property	✓	X
(m)	Interest on Home Loan u/s 24b on: Let-out property	✓	✓

Ser No	Particulars	Old Tax Regime	New Tax Regime
(n)	Deduction u/s 80C (EPF/ LIC/ ELSS/ PPF/ FD/ Children's tuition fee etc)	✓	X
(o)	Employee's (own) contribution to NPS	✓	X
(p)	Employer's contribution to NPS	✓	✓
(q)	Medical insurance premium - 80D	✓	X
(r)	Disabled Individual - 80U	✓	X
(s)	Interest on education loan - 80E	✓	X
(t)	Interest on Electric vehicle loan - 80EEB	✓	X
(u)	Donation to Political party/ trust etc - 80G	✓	X
(v)	Savings Bank Interest u/s 80TTA and 80TTB	✓	X
(w)	Other Chapter VI-A deductions (incl Secs 80C, 80CCD, 80D, 80E, 80EE, 80G, 80U, 80TTA and 80TTB)	✓	X
(x)	All contributions to Agniveer Corpus Fund - 80CCH	✓	✓
(y)	Deduction on Family Pension Income	✓	✓
(z)	Gifts upto ₹50,000	✓	✓
(aa)	Exemption on voluntary retirement 10(10C)	✓	✓
(ab)	Exemption on gratuity u/s 10(10)	✓	✓
(ac)	Exemption on Leave encashment u/s 10(10AA)	✓	✓
(ad)	Daily Allce	✓	✓
(ae)	Conveyance Allce	✓	✓
(af)	Tpt Allce for a specially-abled person	✓	✓

8. Disclaimer

- When total deduction are more than ₹ 3.75 lakh, the old tax regime will be more beneficial.
- When total deductions are less than ₹ 1.5 lakh, the new tax regime will be more beneficial.
- When total deduction are less than ₹ 1.5 lakh to ₹ 3.75 lakh, choice will depend on gross total income.
- OT calculator avbl in public domain may be used before choosing the tax regime.

9. This advisory may be disseminated down to unit level.





OFC Factory Kanpur Union organised Felicitation Ceremony of Shri Bishwajeet ji HR, AWEIL HQ, Kanpur



Shri Mukesh Singh, General Secretary, BPMS inaugurated office of MES Karmachari Pratiraksha Dal CWE, Nagpur



Shri P Vidhysagar Jt. Sec. BPMS conducted AGM meeting of INC Mazdoor Sangh, Vishakhapatnam

Date:-01|Dec|2024

SPECIAL BULLETIN

Sr.No- 17/2024

CONGRATULATIONS



On 30/Nov/24, in the works committee election held at MTPF Ambernath, **BPMS** affiliated union won the majority by **5/7 seats** and canteen committee by **2/2 seats**. Hearty congratulations to the entire team for this huge victory.

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये ।

If undelivered please return to :

"Pratiraksha Bharti"

C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001

Mob. : 9450153677, Tel./Fax : 0512-2332222

Website : www.bpms.org.in

E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

बुक पोस्ट

Publisher and Owner : Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 • Mob. : 9839223650